

**शिक्षा का अधिकार:- प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं समाधान Year 2020-21**

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
	<b>आवेदन हेतु पात्रता से संबंधित जिज्ञासा</b>	
1	वर्तमान में किस सत्र हेतु निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया चल रही है	सत्र 2020-21 हेतु, चूँकि कोविड-19 के कारण इस प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नहीं हो पाये थे परन्तु इस प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 हेतु पात्रता रखते थे ऐसे पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सके इसको ध्यान में रखते हुये जिन आवेदकों हेतु सत्र 2020-21 की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सत्र 2020-21 हेतु आवेदक की आयु की गणना दिनांक <b>16 जून 2020</b> की स्थिति से की जावेगी।
2	कक्षा के संबंध में जानकारी	2020-21 में बच्चों को आवंटित कक्षा नोशनल (Notional) होगी। अर्थात् प्रवेशित बच्चा वास्तविक रूप से सत्र 2021-22 में प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा एवं वास्तविक कक्षा की फीस प्रतिपूर्ति ही संबंधित अशासकीय स्कूल की पात्रता होगी।
3	यदि सत्र 2021-22 में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से एडमिशन हुआ है एवं प्रवेश ले लिया है तो क्या अब सत्र 2020-21 में आवेदन कर सकते हैं।	नहीं। सत्र 2020-21 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिये वह आवेदक पात्र नहीं होगा जिसने सत्र 2021-22 की ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटित स्कूल में प्रवेश ले लिया है।
4	आरटीई के तहत किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है।	ऐसे बच्चे आवेदन हेतु पात्र हैं जिनके माता-पिता निम्न वर्ग से संबंधित हो:- <b>वंचित समूह:-</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुसूचित जाति,</li> <li>• अनुसूचित जनजाति,</li> <li>• वनभूमि के पट्टाधारी परिवार,</li> <li>• विमुक्त जाति परिवार(विमुक्त जाति में शामिल है-बंजारा, हाबुडा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी,</li> </ul>

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर									
		<p>नट, पारधी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सन्धिया, पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>निःशक्त बच्चे (मैंडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)</li> <li><b>HIV</b> ग्रस्त बच्चे</li> </ul> <p><b>कमजोर वर्ग:</b>—वैध बीपीएल कार्ड/अंत्योदयकार्ड धारी परिवार के बच्चे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>अनाथ बच्चे (अनाथ आश्रम में पडने वाले बच्चे)</li> </ul> <p><b>बच्चों का वर्तमान फोटो, आधार नंबर, समग्र आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जिस आरक्षित कोटा के अन्तर्गत प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसका प्रमाण पत्र।</b></p>									
6	किस उम्र के बच्चों को प्रवेश की पात्रता है।	<p>आयु के संबंध में निम्नानुसार पात्रता होगी:</p> <table border="1" data-bbox="773 793 1492 1073"> <thead> <tr> <th>कं.</th> <th>प्रवेश आवेदन की कक्षा</th> <th>न्यूनतम आयु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>नर्सरी/के.जी.-1/के.जी.-2</td> <td>न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं हो।</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>सत्र 2021-22 के निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति में की जावेगी।</p>	कं.	प्रवेश आवेदन की कक्षा	न्यूनतम आयु	1	नर्सरी/के.जी.-1/के.जी.-2	न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष	2	कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं हो।	
कं.	प्रवेश आवेदन की कक्षा	न्यूनतम आयु									
1	नर्सरी/के.जी.-1/के.जी.-2	न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष									
2	कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं हो।										
6	क्या आधार नंबर अनिवार्य है	हाँ आधार नंबर अनिवार्य है।									
7	निवासी होने संबंधी क्या दस्तावेज आवश्यक है	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में निवास का स्थान अंकित नहीं होने पर वीपीएल कार्ड में अंकित पता स्थानीय पता माना जायेगा।									
8	जाति संबंधी आवश्यक दस्तावेज	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र									
9	बीपीएल/अंत्योदय कार्ड	जिस जिले का कार्ड है उसी जिले के स्कूल में प्रवेश हेतु मान्य होगा									
10	मेरा बच्चा पूर्व में आरटीई के तहत प्रायवेट स्कूल में निःशुल्क पढ रहा है तो क्या मैं पुनः वह किसी अन्य स्कूल हेतु आवेदन कर सकता हू।	नहीं। यदि आवेदक पूर्व में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है अथवा कर रहा है तो वह इस हेतु पुनः आवेदन हेतु पात्र नहीं है।									

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
	<b>आवेदन पत्र के संबध में जिज्ञासा</b>	
1	आवेदन पत्र कहाँ जमा करना होगा।	आवेदन केवल पोर्टल पर ऑनलाइन ही दर्ज होंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं किये जा सकेगे। अतः आवेदको द्वारा किसी भी स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जायेगी। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं कर सकते है।
2	यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो गयी है तो कैसे सुधार सकते है	आवेदन दर्ज करने के बाद प्रिंट निकाल कर देख लें कि समस्त जानकारी जैसे समग्र आईडी, आधार नंबर भरे हो। स्कूलों का क्रम देख ले सभी आ रहे है एवं प्राथमिकता क्रम भी चेक कर ले। यदि किसी प्रकार की गलती है या सुधार करना है तो पोर्टल पर उपलब्ध आषान <b>आवेदन अध्ययन करें</b> से आवेदन का सुधार कर लें इसके पश्चात ही सत्यापन कराने जायें। सत्यापन कराने के पश्चात कोई सुधार नहीं हो सकेगा। इसमें मोबाइल नंबर-1 पर ओटीपी आयेगा उसका उपयोग करें।
3	ऑनलाइन फार्म जमा करने के बाद ओटीपी प्राप्त हुआ है इसका क्या करना है।	आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म दर्ज करने के उपरांत पालक के फार्म मे दर्ज मोबाइल नंबर-1 पर एसएमएस द्वारा एक ओटीपी पासवर्ड प्राप्त होगा इसको दर्ज करने के उपरांत आवेदन की पुष्टि कर लॉक करे तभी आवेदन पत्र सेव होगा। अतः सलाह दी जाती है कि फार्म भरते समय मोबाइल अपने पास चालू करके रखें। इसके बाद आवेदन पत्र की पावती प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखे सत्यापन प्रपत्र एवं आवंटन पत्र निकालते समय इसकी आवश्यकता होगी।

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
	ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन के संबंध में जिज्ञासा	
1	ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कहाँ कराना होगा	आवेदक अपने निकटस्थ जनशिक्षा केन्द्र है जो सामान्यतः शासकीय हाईस्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल होता है उसमें आवेदन में अंकित मूल दस्तावेज तथा ऑनलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करके ले जाये। सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात सत्यापन होने संबंधी एसएमएस प्राप्त होगा तभी सत्यापन पूर्ण मानें।
2	सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में क्या मेरा नाम लॉटरी में आ सकता है	नहीं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन केन्द्र में जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन के उपरांत पात्र पाये गये बच्चों को ही ऑनलाइन लॉटरी में शामिल किया जायेगा।
3	क्या सत्यापन कराने के बाद आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकते हैं	नहीं, आवेदन में जो भी त्रुटि है उसकी त्रुटि सुधार आवेदन सत्यापन केन्द्र में जाने के पूर्व ही कर लें। एक बार यदि सत्यापन के पश्चात आवेदन निरस्त हो जाता है तो कोई सुधार नहीं होगा एवं बच्चा ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पायेगा। सत्यापन कराने के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं होगा।

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
4	सत्यापन के समय कोन-कोन से मूल दस्तावेजों ले जाने की आवश्यकता है	<p>आवेदन के बाद सत्यापन हेतु निम्न मूल दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है:-</p> <p>जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसकी मूल प्रति।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति वर्ग से है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।</li> <li>● आरक्षित कोटा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र</li> <li>● वैध वीपीएल कार्ड/अंत्योदय कार्ड</li> <li>● जिस निवास क्षेत्र के स्कूल हेतु आवेदन किया है उसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण</li> <li>● जन्म प्रमाण</li> <li>● फोटो</li> <li>● आधार कार्ड</li> <li>● आवेदन की पावती प्रति</li> <li>● सत्यापन प्रपत्र</li> <li>● आवेदन में दर्ज प्रथम मोबाइल</li> </ul>
<b>ऑनलाइन लॉटरी के पश्चात आवंटन के पश्चात प्रवेश के संबंध में जिज्ञासा</b>		
1	ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश कैसे होगा।	<p>सत्यापन उपरांत पात्र होने पर <b>पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया से एक ही दिन में पूरे प्रदेश में।</b> सत्यापन उपरांत पात्र होने पर ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। केन्द्रीकृत, रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा।</p>
2	प्रवेश प्रक्रिया	<p>लॉटरी में स्कूल का आवंटन होने पर एसएमएस के माध्यम से प्रवेश की जानकारी प्रदान की जायेगी। आवेदक पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करेगे एवं आवंटन पत्र की प्रति ले जाकर संबंधित आवंटित स्कूल में समय सीमा में प्रवेश लेगे। प्रवेश हेतु समय सीमा में उपस्थित नही होने पर आवंटन निरस्त हो जायेगा।</p>
3	प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी	<p>1 ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन करना होगा।</p> <p>2 आवेदन के पश्चात ऑपलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड कर अपने ग्राम/वार्ड के निकटस्थ स्थित शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल जो जनशिक्षा केन्द्र(संकुल केन्द्र) है वहा जाकर आवेदन में दर्ज की गयी जानकारी अनुसार मूल दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य है।</p>

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
		<p>3 मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन कर्ता पात्र/अपात्र करेंगे।</p> <p>4 सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। ऑनलाइन लॉटरी में यदि नाम आता है तो ही स्कूल में निःशुल्क प्रवेश ले सकेगे।</p> <p>5 ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल आवंटन होगा एवं इसके पश्चात सीधे स्कूल में प्रवेश लिया जा सकेगा।</p>
	<p><b>आवेदन करने में समस्या आने पर कहीं संपर्क किया जा सकता है।</b></p>	
1	<p>यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कहां से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।</p>	<p>किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अपने बीआरसी कार्यालय/जिला शिक्षा केन्द्र/जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।</p>